

**खाण्डसारी अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार के लिए स्थापना कमेटी
की बैठक दिनांक १९-८-२०११ का कार्यवत्त**

शासनादेश संख्या ५५९/एक्स-व०ग्रा०वि०-गन्ना चीनी/२००१ दिनांक ५-४-२००१ द्वारा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का पुनर्गठन किया गया है उक्त शासनादेश के अनुक्रम में चीनी अनुभाग के अन्तर्गत खाण्डसारी अधिकारी का १ पद वेतनमान ५०००-८००० स्वीकीरत है विभागान्तर्गत कार्यरत खाण्डसारी अधिकारी श्री गोपाल सिंह दिनांक ३१-१-२०११ को विभागीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण खाण्डसारी अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है गन्ना एवं चीनी उत्तराखण्ड के आदेश पत्रांक ३३६६/सी/स्था० दिनांक २९-३-२०११ द्वारा श्री महेश चन्द गुप्ता खाण्डसारी निरीक्षक की खाण्डसारी के पद वेतन बैण्ड-२ में वेतन रू० ९३००-३४८०० सार्दश्य ग्रेड वेतन ४२०० में तदर्थ रूप से पदोन्नति की गयी है विभागाध्यक्ष चीनी विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं हुई है वर्तमान में उत्तर प्रदेश चीनी विभाग अधीनस्थ सेवा नियम १९८१ लागू है

उत्तर प्रदेश चीनी विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली १९८१ के अन्तर्गत खाण्डसारी अधिकारी का पद स्थायी खाण्डसारी अधिकारी का पद स्थायी खाण्डसारी निरीक्षक और इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय विद्यमान सांख्यिक सहायक के पदों के पद धारकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है विभागान्तर्गत सांख्यिक सहायक के पद पर कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है खाण्डसारी निरीक्षक के पद पर नियमित रूप से एक कार्मिक श्री महेश चन्द गुप्ता सीधी भर्ती द्वारा कार्यरत है खाण्डसारी निरीक्षक खाण्डसारी निरीक्षक की ज्येष्ठता सूची के क्रमांक ४ में दर्ज श्री महेश चन्द गुप्ता एक मात्र कार्मिक पदोन्नति हेतु उपलब्ध है श्री महेश चन्द गुप्ता खाण्डसारी निरीक्षक के चरित्र फलक में वर्ष २०००-२००१ से वर्ष २००९-१० तक की प्रविष्टियाँ पूर्ण हैं वर्ष २०१०-११ में प्रतिवेदक अधिकारी संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड का अभिमत प्राप्त है श्री महेश चन्द गुप्ता खाण्डसारी निरीक्षक की अध्यावधिक प्रविष्टियाँ अनुकूल हैं विभागान्तर्गत खाण्डसारी अधिकारी का मात्र एक पद सजित है फलस्वरूप इसमें पदोन्नति आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता है

पदोन्नति कमेटी द्वारा विभागान्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा नियमित रूप से कार्यरत मात्र एक कर्मचारी श्री महेश चन्द गुप्ता खाण्डसारी निरीक्षक को खाण्डसारी अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड-२ रू० ९३००-३४८०० सादश्य ग्रेड वेतन रू० ४२०० में पदोन्नति की संस्तुति करती है

ह०
(फूल सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कार्यालय गन्ना एवं चीनी
आयुक्त
उत्तराखण्ड/सदस्य

ह०
(वीरेन्द पाल सिंह)
उप सचिव
गन्ना विकास एवं चीनी
उद्योग
उत्तराखण्ड
शासन/सदस्य

ह०
(डॉ विक्रमाजित तिवारी)
गन्ना एवं चीनी आयुक्त
उत्तराखण्ड/अध्यक्ष

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक दिनांक १९-८-२०११ की संस्तुति के आलोक में श्री महेश चन्द गुप्ता खाण्डसारी निरीक्षक (सम्प्रति तदर्थ खाण्डसारी अधिकारी) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से खाण्डसारी अधिकारी के मौलिक पद वेतन बैण्ड -२ में वेतन रू० ९३००-३४८०० सादश्य ग्रेड वेतन रू० ४२०० मे एतद्वारा पदोन्नत करते हुए गन्ना एवं चीनी उत्तराखण्ड के मुख्यालय में तैनात किया जाता है

श्री महेश चन्द गुप्ता खाण्डसारी अधिकारी का प्रथम दो वर्ष का कार्यकाल परिवीक्षा अवधि रहेगी

ह०

(डॉ० विक्रमाजीत तिवारी)

गन्ना एवं चीनी आयुक्त

उत्तराखण्ड

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड

काशीपुर (उधमसिंह नगर)

पत्रांक 23/सी /स्था० कैम्प दिनांक १८-८-२०११

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित

- १ सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा सहायक चीनी उत्तराखण्ड हल्दानी (नैनीताल)
- २ गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड हल्दानी (नैनीताल)
- ३ सहायक गन्ना आयुक्त मुख्यालय(
- ४ वरिष्ठ/ मुख्यालय कोषाधिकारी उधमसिंह नगर/ हल्दानी (नैनीताल)
- ५ वित्त एवं लेखाधिकारी(मुख्यालय) कार्यालय अधोहस्ताक्षरी
- ६ जिलाधिकारी उधमसिंह नगर/(नैनीताल)
- ७ सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड शासन देहरादून

